# छत्तीसगढ़ विधानसभा

## पत्रक भाग-एक

## संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा | द्वादश सत्र | अंक-19

**रायपुर, गुरूवार, दिनांक 14 मार्च, 2013**

**(फाल्गुन-23, शक संवत 1934)**


विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

**(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)**

## 1.प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 04 से 11 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्न संख्या 03 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री राजूसिंह ठाकुर अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 13 तारांकित एवं 30 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

## 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-19 के अंतर्गत बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012 **पटल पर रखा।**

## 3. पृच्छा

## ग्राम भदौरा में भूमि खरीदी बिक्री में अनियमितता की जाना

श्री मोहम्मद अकबर एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा ग्राम भदौरा में जमीनों की खरीदी बिक्री में अनियमितता संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की गई।

श्री दयाल दास बघेल, राजस्व मंत्री ने वक्तव्य दिया।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कथन किया कि यदि यह सरकार का सो-मोटो वक्तव्य है तो इसकी सूचना दी जानी चाहिए, इस संबंध में आसंदी से व्यवस्था की मांग की।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी की गई।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - शासन की ओर से स्वमेव वक्तव्य दिया गया है, आसंदी की ओर से कोई दिशा-निर्देश नहीं दिए गए हैं और न ही वक्तव्य के संबंध में कोई सूचना आई है।

प्रतिपक्ष द्वारा दिए गए स्थगन को कल भी अग्राह्य कर दिया गया था, आज उसी विषय को फिर दोहराया गया है, उसे भी पुनः अग्राह्य कर दिया गया है।

स्थगन का उत्तर तब आयेगा जब स्थगन पर चर्चा हो। एक बार स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य होने के बाद पुनः स्थगन लगाने का कोई औचित्य नहीं है।

माननीय अध्यक्ष द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना पढ़े जाने हेतु श्री अजीत जोगी का नाम पुकारा गया।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।

(निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.18 बजे स्थगित की जाकर 12.30 बजे पुनः समवेत हुई।)

**(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)**

डॉ.शक्राजीत नायक एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की पुनः मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से आग्रह किया कि जिस स्थगन को अग्राह्य कर दिया गया है उस पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है, सभा की कार्यवाही आगे चलाने में सहयोग करें।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।

(निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.34 बजे स्थगित की जाकर 1.04 बजे पुनः समवेत हुई।)

**(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)**

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने कथन किया कि शासन को जमीनों के ट्रांजेक्शन के मामले में श्वेत-पत्र जारी करना चाहिए एवं आसंदी से आग्रह किया कि प्रतिपक्ष के प्रश्नों के उत्तर शासन की ओर से आने चाहिए।

माननीय अध्यक्ष ने व्यक्त किया कि कल और आज इस विषय पर आपने ध्यानाकर्षित कर दिया है। बजट सत्र में सारे विषयों पर चर्चा करनी है। आप सभी सदन की कार्यवाही आगे चलाने में सहयोग करें।

## 4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री अजीत जोगी, सदस्य ने लोक निर्माण विभाग पेण्ड्रा संभाग अंतर्गत निर्माणाधीन रतनपुर, मजवानी, केन्दा, केंवची मार्ग के निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य ने जिला-रायगढ़ की नगर पंचायत सरिया में वैकल्पिक व्यवस्था किये बिना गरीब परिवारों के आवास तोड़े जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री दयालदास बघेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

## 5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267- क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री नंद कुमार पटेल
(2) श्री दूजराम बौद्ध
(3) श्री अग्नि चंद्राकर
(4) श्री धर्मजीत सिंह
(5) श्री रामदेव राम

## 6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री रविन्द्र चौबे, सभापति ने लोक लेखा समिति का एक सौ पंद्रहवां, एक सौ सोलहवां, एक सौ सत्रहवां, एक सौ अट्ठारहवां, एक सौ उन्नीसवां, एक सौ बीसवां, एक सौ इक्कीसवां, एक सौ बाइसवां, एक सौ तेइसवां, एक सौ चौबीसवां एवं एक सौ पच्चीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(2) श्री विरेन्द्र कुमार साहू, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन इस प्रकार है:-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च, 2013 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों एवं अशासकीय विधेयक पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

| *अशासकीय संकल्प क्रं.* | *सदस्य का नाम* | *समय* |
|---|---|---|
| 1. (क्रमांक - 20) | श्री मोहम्मद अकबर | 1 घंटा 30 मिनट |
| 2. (क्रमांक - 10) | श्री महंत रामसुंदर दास | 1 घंटा 30 मिनट |
| *अशासकीय विधेयक (पुर:स्थापन)* | | |
| 1. (क्रमांक 2 सन् 2013) | श्री मोहम्मद अकबर | 10 मिनट |

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

## 7. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष ने निर्देशानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री महंत रामसुंदर दास

(2) डॉ.शक्राजीत नायक

## 8.वर्ष 2013-2014 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

(1) माननीय आदिम जाति कल्याण विकास मंत्री के विभागों की मांगों पर पुनर्ग्रहित चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

श्री दीपक कुमार पटेल,

**(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)**

सर्वश्री अमरजीत भगत, लखमा कवासी, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, सर्वश्री देवजी पटेल, शिवराज सिंह उसारे, बोधराम कंवर।

श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

**(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)**

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री हेमचंद यादव, पंचायत मंत्री ने पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 30, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 80, न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन से संबंधित मांग संख्या 29 प्रस्तुत की।

**मांग संख्या-30 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, (डॉ.) प्रेमसाय सिंह टेकाम, अमरजीत भगत, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, डॉ. हरिदास भारद्वाज, सर्वश्री भजन सिंह निरंकारी, ह्दयराम राठिया, भोलाराम साहू, **मांग संख्या-29 पर** डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री टी.एस.सिंहदेव ने चर्चा प्रारंभ की।

**(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)**

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री देवजी पटेल, (डॉ.) प्रेमसाय सिंह टेकाम, विरेन्द्र कुमार साहू

**(सभापति महोदय (श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर) पीठासीन हुईं।)**

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, (डॉ.) कृष्णमूर्ति बांधी, लखमा कवासी,

**(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)**

सर्वश्री डोमन लाल कोर्सेवाड़ा, देवेन्द्र बहादुर सिंह, फूलचंद सिंह, शिवराज सिंह उसारे, संतोष बाफना, अग्नि चंद्राकर, श्रीमती लक्ष्मी बघेल, (श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्री अमरजीत भगत-अनुपस्थित), सर्वश्री दूजराम बौद्ध, खेदूराम साहू, भोलाराम साहू,

**(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)**

श्री सेवकराम नेताम।

श्री हेमचंद यादव, पंचायत मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**रात्रि 9.12 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनाँक 15 मार्च, 2013 (फाल्गुन, 24 शक संवत् 1934) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।**

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा